

निर्बल वर्ग के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग एवं अन्य पिछड़ा जाति वर्ग के छात्राओं को कमषः जिला समाज कल्याण अधिकारी,जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा फीस प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं।

### प्रथम वर्ष हेतु:-

प्रवेष पुल्क	रु० 2000/- (केवल प्रवेष के समय)
षिक्षण पुल्क (आरक्षित श्रेणी हेतु)	रु० 9000/- (वार्षिक)
षिक्षण पुल्क (सामान्य श्रेणी हेतु)	रु० 18000/- (वार्षिक)
अन्य पुल्क	रु० 4000/- (वार्षिक)
विकास पुल्क	रु० 2000/- (वार्षिक)
परीक्षा पुल्क	रु० 2000/- (वार्षिक)

### द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष हेतु:-

षिक्षण पुल्क (आरक्षित श्रेणी हेतु)	रु० 9000/- (वार्षिक)
षिक्षण पुल्क (सामान्य श्रेणी हेतु)	रु० 18000/- (वार्षिक)
अन्य पुल्क	रु० 4000/- (वार्षिक)
विकास पुल्क	रु० 2000/- (वार्षिक)

- फीस प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति हेतु निम्नलिखित अर्हताएं हैं:-
- अभ्यर्थी उ०प्र०का मूल निवासी हो।
- अभ्यर्थी द्वारा किसी भी अन्य स्रोत से कोई भी छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता प्राप्त न हो रही हो।